प्रेस नोट

दिनांक 20.03.2025, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 05 वर्ष कारावास व रू0 31,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अंगद कुमार सिंह द्वारा थाना उमरीबेगमगंज को सूचना दिया कि पुरानी रंजीश को लेकर विपक्षी द्वारा गाली गलौज देते हुए लाठी दण्डा से मार पीट कर घायल कर दिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेला भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 विनोद कुमार त्रिपाठी द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार- तृतीय द्वारा थाना उमरीबेगमगंज पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, लोक अभियोजक श्री विनय कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर का0 दीपांशु सिंह व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार का उपदेश वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 20.03.2025 को दोषी अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व रू0 31,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. देवपाल सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह निवासी परास पट्टीपुवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 25/1991, धारा 323, 325, 308 भादवि थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।